बिहार सरकार

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
सूचना

पत्रांक–04/STA–(विविध)–03/2018 परि0– 7763 **पटना, दिनांक–** 6/12/18

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि दिनांक–27.04.2017 को सम्पन्न राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में राज्य परिवहन प्राधिकार के निर्णयानुसार परमिट नवीकरण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में राज्य परिवहन आयुक्त के स्तर से परमिट का नवीकरण पृष्ठांकन इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि परमिट के नवीकरण के तीन माह के अन्दर नये/उच्च मॉडल वर्ष के वाहन का प्रतिस्थापन कराना अनिवार्य होगा।

राज्य परिवहन प्राधिकार के उक्त तीन माह के अन्दर प्रतिस्थापन की शर्त के विरूद्ध कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी। साथ ही दिनांक–18–19 दिसम्बर, 1998, 06.01.2003 एवं 21.08.2003 को सम्पन्न हुए राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में वाहन के आयु के आधार पर वाहन के परिचालन की दूरी का निर्धारण संबंधी निर्णय का उद्धरण देते हुए वाहन के आयु/मॉडल वर्ष के आधार पर निर्धारित प्रतिदिन परिचालन दूरी मान्य रखने का अनुरोध प्राधिकार से किया गया है। इस संबंध में दिनांक–21.08.2003 को सम्पन्न हुए राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में वाहन के आयु के आधार पर वाहन का परिचालन की दूरी का निर्धारण निम्नवत किया गया :–

क्र0सं0	वाहन की आयु(वर्ष में)	प्रतिदिन परिचालन की अधिकतम दूरी(कि0मी0 में)
1	0–5	असीमित
2	5–10	600
3	10–15	400
4	15 वर्ष से अधिक	200

वाहन स्वामियों के उक्त अनुरोध के आलोक में उक्त मामले को राज्य परिवहन प्राधिकार की दिनांक–22.11.2018 की बैठक में विचारार्थ रखा गया। इस बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक–21.08.2003 के प्राधिकार के उक्त निर्णय के अनुसार वाहनों की आयु के आधार पर परिचालन की दूरी निर्धारण एवं तद्नुरूप परमिट पर वाहनों का प्रतिस्थापन किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने हेतु वाहन स्वामियों से आपत्ति/सुझाव 15 दिनों के भीतर आमंत्रित किये जाते है। यह निर्णय वैसे अंतर्राज्यीय मार्ग पर लागू नहीं होंगे, जिनके समझौते में वाहन की आयु एवं परिचालन की दूरी के संबंध में प्रावधान हो।

यदि किसी वाहन स्वामी को कोई सुझाव/आपत्ति देना हो तो वे परिवहन विभाग के सिंगल विन्डों काउन्टर पर विज्ञापन प्रकाशन तिथि के 15 दिनों के भीतर अपराहन 4:00 बजे तक अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में समर्पित/उपलब्ध करा सकते है। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

6/12

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।